

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 150/2020
दायर दिनांक :- 27.11.2020

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2020/00116
निर्णय दिनांक :- 12.08.2025

1. हरुराम पुत्र मोडा जाति भील निवासी दादुदयाल नगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. दीपाराम पुत्र मोडा जाति भील निवासी दादुदयाल नगर तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—प्रार्थीगण

बनाम्

1. शंकरलाल पुत्र गंगाविशन जाति ब्राहमण नि. दादुदयाल नगर तह. घंटियाली जिला फलोदी
2. भूराराम पुत्र गंगाविशन जाति ब्राहमण नि. दादुदयाल नगर तह. घंटियाली जिला फलोदी
3. भगवानाराम पुत्र गंगाविशन जाति ब्राहमण नि. दादुदयाल नगर तह. घंटियाली जिला फलोदी
4. माधुराम पुत्र जगदीशराम जाति ब्राहमण नि. दादुदयाल नगर तह. घंटियाली जिला फलोदी
5. ओकारमल पुत्र जगदीशराम जाति ब्राहमण नि. दादुदयाल नगर तह. घंटियाली जिला फलोदी
6. रूगनाथराम पुत्र जगदीशराम जाति ब्राहमण नि. दादुदयाल नगर तह. घंटियाली जिला फलोदी
7. दुलीचन्द पुत्र जगदीशराम जाति ब्राहमण नि. दादुदयाल नगर तह. घंटियाली जिला फलोदी
8. अलसीराम पुत्र बीजाराम फौत के कायम मुकाम
- 8/1 जेठी पत्नी अलसीराम जाति ब्राहमण नि. दादुदयाल नगर तह. घंटियाली जिला फलोदी
- 8/2 रामस्वरूप पुत्र अलसीराम जाति ब्राहमण नि. दादुदयाल नगर तह. घंटियाली जिला फलोदी
- 8/3 कैलाश पुत्र अलसीराम जाति ब्राहमण नि. दादुदयाल नगर तह. घंटियाली जिला फलोदी
- 8/4 मेगराज पुत्र अलसीराम जाति ब्राहमण नि. दादुदयाल नगर तह. घंटियाली जिला फलोदी
- 8/5 जयप्रकाश पुत्र अलसीराम जाति ब्राहमण नि. दादुदयाल नगर तह. घंटियाली जिला फलोदी
- 8/6 जुगलकिशोर पुत्र अलसीराम फौत के कायम मुकाम
- 8/6/1 देवी पत्नी जुगलकिशोर जाति ब्राहमण नि. दादुदयाल नगर तह. घंटियाली जिला फलोदी
- 8/6/2 महावीर पुत्र जुगलकिशोर जाति ब्राहमण नि. दादुदयाल नगर तह. घंटियाली जिला फलोदी
- 8/6/3 अजीत पुत्र जुगलकिशोर जाति ब्राहमण नि. दादुदयाल नगर तह. घंटियाली जिला फलोदी
9. चेतनराम पुत्र बीजाराम जाति ब्राहमण नि. दादुदयाल नगर तह. घंटियाली जिला फलोदी
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

- उपस्थित :- 1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

A — 12/8/25

—:निर्णय:—

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि सरहद मौजा दादुदयाल नगर पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप में प्रार्थीगण की खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 283/1 रकबा 34-11 बीघा भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे हैं और प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण उक्त खातेदारी अधिकारों के चिपती अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 284 रकबा 40-13 भूमि ग्राम दादुदयाल नगर पटवार क्षेत्र चाम्पासर तहसील घंटियाली में आई हुई है। प्रमाणित जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 283/1 की भूमि एवं उसमें बनी रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 284 की भूमि में से रास्ता हेतु संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उपयोग में ली जा रही है। प्रार्थीगण को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के आलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में अप्रार्थीगण की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था। अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को बंद करने को आमामादा है। अप्रार्थीगण की भूमि से लगती डामर सड़क जो मौके पर नागौर-फलोदी हाईवे है। जिस सड़क मार्ग तक पहुंच हेतु प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 10 तहसीलदार घंटियाली ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 की और से अधिवक्ता प्रवीण कुमार दवे ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 7 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण की और से जवाब पेश नहीं करने पर इनका जवाब बंद किया गया। पत्रावली में बहस सुनी गई।

विचाराधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार घंटियाली से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट व मौका फर्द अनुसार -

1. प्रार्थीगण वर्तमान में अस्थाई तौर पर खसरा नंबर 283/1 वर्तमान खसरा नम्बर 534/283 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 284 के किनारे से उपयोग में ले रहे हैं जो कि स्वीकृत शुदा नहीं है।
2. खसरा नंबर 534/283 के निकटतम खसरा नम्बर 284 के चिपती डामर सड़क है।
3. यदि खसरा नंबर 284 में से रास्ता दिया जाता है तो 1243 वर्ग मीटर भूमि रास्ते में आती है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक होगी।

A — 12/8/18

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया -


1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता।
3. नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी, पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा, तहसीलदार घंटियाली की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते के मध्यनजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम दादुदयाल नगर पटवार क्षेत्र घंटियाली के खसरा नंबर 284 में से मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शानुसार 1243 वर्ग मीटर यानि 0.1243 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अकन किया जाकर मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर देय होगा जिसकी गणना तहसीलदार बाप द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत गै.मु.रास्ते का अकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)